पत्र सं०-5/पी०(के०यो०)-81/2023-29(6)ब /स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 25-11-2025

विषयः 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए विमुक्त राशि के आलोक में Conversion of Rural PHCs and SCs in to HWC, Setup Cost of BPHU,Recurring Cost of UHWC आदि कार्य हेतु कुल 64,67,07,000/–(चौसठ करोड़ सड़सठ लाख सात हजार रुपये) रुपए मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024–25 में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–25(6)ब दिनांक–19.11.2025 एवं 15 वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए विमुक्त राशि के आलोक में Conversion of Rural PHCs and SCs in to HWC, Setup Cost of BPHU,Recurring Cost of UHWC आदि कार्य हेतु कुल 64,67,07,000/–(चौसठ करोड़ सड़सठ लाख सात हजार रुपये) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्त्ते यथावत् रहेंगी। स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, भारत सरकार के पत्रांक 15(2) FC-XV/FCD/2020-25दिनांक 16.07.2021 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा (वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26) के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में स्वशासी निकाय के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्गत संचालन दिशा–निर्देश (Operational Guideline) के अनुरुप कार्रवाई किया जाएगा।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के सिविल सर्जन (संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार) होंगे, जो राशि की निकासी कर इस प्रायोजन हेतु संधारित बैंक खाता में जमा करेंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी। बैंक खाता के संचालन हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–104(5) दिनांक 14.02.2022 के द्वारा वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए पूर्व में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

Bank Accountसे राशि की निकासी/भुगतान/हस्तांतरण PFMS के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ध्रुव प्रसाद)	(विद्यानंद शर्मा पंकज)	(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव	अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव

5. इस संपूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. राशि की निकासी करने वाले प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा, जिसके आधार पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा पंचायती राज विभाग तथा शहरी विकास एवं आवास विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करते हुए भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

7. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में किए जाने वाले कार्यो के लिए आवश्यक मानव बल की भर्त्ती यथा चयनित एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाएगी।

8. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाने वाली आवश्यक मानवबल की भर्त्ती की प्रक्रिया पर किए जाने वाले व्यय का वहन किया जाएगा।

9. विभिन्न मानव संसाधनों की आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्थापित झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट, कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची के माध्यम से आवश्यक निविदा दस्तावेज तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

10. सेवाएँ प्रदान करने वाले मानव संसाधन को अनुमान्य मासिक मानदेय का भुगतान संबंधित जिले की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जाएगा।

11. सिविल सर्जन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग के तहत निविदा में निर्धारित मजदूरी राशि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।

12. आउटसोर्सिंग के तहत प्राप्त की गई सेवाओं के तहत कार्यरत कर्मियों को मानदेय का भुगतान बैंक एकाउन्ट के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा प्रत्येक माह किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किया गया हो, उनका EPF कट रहा हो, उनका बीमा हो, साथ ही, एजेन्सी द्वारा सर्विस टैक्स का भुगतान किया जा रहा हो। आउटसोर्सिंग कर्मियों के ई०पी०एफ० की राशि की कटौती की विवरणी चलान सहित प्रत्येक माह एजेन्सी के द्वारा दिये जाने वाले विपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

14. उक्त योजना के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में सम्परिवर्तित किया जाना है, जिसके लिए आवश्यक राशि को संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को हस्तान्तरित किया जाएगा।

15. योजना में सन्निहित विभिन्न क्रियाकलापों का कार्यान्वयन सरकार द्वारा निर्गत आदेशों/परिपत्रों आदि का यथानियम सभी प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

(ध्रुव प्रसाद) उप सचिव	(विद्यानंद शर्मा पंकज) अपर सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

29(6)व
25-11-2025

16. 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य अनुदान के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्गत तकनीकी एवं संचालन दिशा निर्देशों (Technical and Operational Guidlines of XV-FC Health Grant) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

17. आवंटित राशि का व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष से वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से किया जाएगाः–

क्र०	बजट शीर्ष	आवंटित राशि
1	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी– 110– अस्पताल तथा औषधालय– 89– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान– 01– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (20सी– 2210–01–110–89–01–06–79)	646707000/–
	कुल योग	**646707000**

18. योजनाओं का क्रियान्वयन कराते समय उनकी गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु उच्चतम मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन/उनकी गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए संबंधित पदाधिकारी/तकनीकी पदाधिकारी एवं अभिकर्त्ता भी सामान रूप से उत्तरदायी होंगे।

19. आवंटित अनुदान राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/वि० दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

20. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात विपत्र कोषागार में कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप संबंधित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

21. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में टी0भी0नं0 एवं तिथि सहित महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी एक प्रति स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

22. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जांच पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

23. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

24. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में आवंटित राशि की निकासी सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

29(6)ब
25-11-2025

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 29(6) क   रांची, दिनांकः– 25-11-2025

प्रतिलिपिः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग,झारखण्ड, राँची।
5. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड, राँची ।
6. सी०ई०ओ०–सह–निदेशक, राँची स्मार्ट सिटी निगम, शहरी विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड।
8. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, राँची।
9. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची।
10. राज्य आर०सी०एच0 पदाधिकारी, नामकुम, राँची।
11. सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड।
12. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
13. प्रभारी पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ध्रुव प्रसाद)	(विद्यानंद शर्मा पंकज)	(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव	अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट– 1

15वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए विमुक्त राशि के आलोक में Conversion of Rural PHCs and SCs in to HWC, Setup Cost of BPHU,Recurring Cost of UHWC आदि कार्य हेतुजिलावार आवंटन की विवरणी

राशि रुपए में।

क्र०	जिला का नाम	कुल आवंटित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	बोकारो	6,87,10,000	संबंधित जिले के सिविल सर्जन
2	चतरा	68,28,000	
3	देवघर	2,24,08,000	
4	धनबाद	9,20,50,000	
5	गढ़वा	1,34,22,000	
6	गिरिडीह	1,87,50,000	
7	गोड्डा	1,24,98,000	
8	हजारीबाग	2,38,66,000	
9	रामगढ़	2,96,54,000	
10	कोडरमा	1,45,38,000	
11	पलामू	2,26,44,000	
12	राँची	8,75,54,000	
13	जामताड़ा	1,02,00,000	
14	खूँटी	70,44,000	
15	गुमला	1,36,14,000	
16	लातेहार	69,38,000	
17	लोहरदगा	70,74,000	
18	पाकुड़	1,30,92,000	
19	साहेबगंज	1,75,32,000	
20	सरायकेला–खरसावाँ	2,29,70,000	
21	सिमडेगा	101,48,000	
22	पश्चिमी सिंहभूम	2,19,17,000	
23	पूर्वी सिंहभूम	8,66,20,000	
24	दुमका	1,66,36,000	
	कुल योग	**646707000**	

कुल 64,67,07,000/–(चौसठ करोड़ सड़सठ लाख सात हजार रुपये) मात्र।

(ध्रुव प्रसाद) उप सचिव	(विद्यानंद शर्मा पंकज) अपर सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वितीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 5/P-CS-81/2023/29(6)B **दिनांक -** 27-Nov-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74676	BKRMED001 DR. ABHOY BHUSAN PRASAD CIVIL.SURGON, BOKARO 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	68,710,000.00 रुपये छः करोड सित्यासी लाख दस हजार
2	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74677	CTRMED013 JAGDISH PRASAD CS CUM CMO CHATR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	6,828,000.00 रुपये अडसठ लाख अठाइस हजार
3	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74678	DGRMEDD52 DR JUGAL KISHORE CHOUDHARY CIVIL SURGEON CUM CMO DEOGHAR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	22,408,000.00 रुपये दो करोड चौइस लाख आठ हजार

योग: रुपये नौ करोड उन्नासी लाख छयालीस हजार 97,946,000.00

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

49.37.26.52

Run Date: 27/11/2025

पत्र संख्या - 5/P-CS-81/2023/29(6)B दिनांक - 27-Nov-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74679	DHNMED072 DR. ALOK BISHWAKARMA C.S. CUM C.M.O.DHANBAD 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	92,050,000.00 रुपये नौ करोड बीस लाख पचास हजार
5	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74680	GRHMED001 DR. JOHN FITZGERALD KENNEDY C.S.CUM C.M.O.GARHWA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	13,422,000.00 रुपये एक करोड चौतीस लाख बाइस हजार
6	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74681	GRDMED003 SHAIKH MOHAMMAD ZAFARULLAH C.S. CUM C.M.O. GIRIDIH 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	18,750,000.00 रुपये एक करोड सित्यासी लाख पचास हजार

योग: रुपये बाइस करोड इक्कीस लाख अडसठ हजार 124,222,000.00

क्रमिक योग: 222,168,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

 49.37.26.52 Run Date: 27/11/2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74683	GDDMED010 SUBHASH CHANDRA SHARMA CIVIL SURGEON GODDA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	12,498,000.00 रुपये एक करोड चौइस लाख अठानवे हजार
8	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74684	HZBMED069 ASHOK KUMAR C S -CUM-CMO HZB 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	23,866,000.00 रुपये दो करोड अडतीस लाख छाछठ हजार
9	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74685	RGHMED025 DR MAHALAXMI PRASAD CIVIL SURGEON CUM CMO RAMGARH 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	29,654,000.00 रुपये दो करोड छयानवे लाख चौपन हजार

योग: रुपये अठाइस करोड इक्कयासी लाख छियासी हजार 66,018,000.00

क्रमिक योग: 288,186,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74686	KDMMEDA09 ANIL KUMAR C.S KODERMA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	14,538,000.00 रुपये एक करोड पैंतालीस लाख अड़तीस हजार
11	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74687	PLMMED002 ANIL KUMAR SRIWASTWA C.S.PALAMAU 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	22,644,000.00 रुपये दो करोड छब्बीस लाख चवालीस हजार
12	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74688	RNCMED013 PRABHAT KUMAR C.S.CUM C.M.O.RANCHI 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	87,554,000.00 रुपये आठ करोड पचहत्तर लाख चौपन हजार

योग: रुपये इकतालीस करोड उन्तीस लाख बाइस हजार 124,736,000.00

क्रमिक योग: 412,922,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74689	JMTMED058 ANAND MOHAN SOREN C.S.CUM C.M.O.JAMTARA. 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	10,200,000.00 रुपये एक करोड दो लाख
14	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74690	KHNMEDL05 NAGESHWAR MAJHI CIVIL SURGEON CUM CMO,KHUNTI 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	7,044,000.00 रुपये सत्तर लाख चवालीस हजार
15	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74691	GMLMED010 DR. SHAMBHU NATH CHOUDHARY C.S.CUM.C.M.O. GUMLA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	13,614,000.00 रुपये एक करोड छत्तीस लाख चौदह हजार

योग: रुपये चवालीस करोड सैतीस लाख अस्सी हजार 30,858,000.00

क्रमिक योग: 443,780,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74692	LTRMED047 RAJ MOHAN KHALKHO C.S, CUM, C.M.O. LATEHAR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	6,938,000.00 रुपये उनहत्तर लाख अड़तीस हजार
17	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74693	LDGMED008 RAJU KACHHAP C.S.CUM C.M.O. LOHARDAGA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	7,074,000.00 रुपये सत्तर लाख चौहत्तर हजार
18	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74694	PKRMED009 SURENDRA KUMAR MISHRA CS-CUM-CMO PAKUR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	13,092,000.00 रुपये एक करोड तीस लाख बयानवे हजार

योग: रुपये सैतालीस करोड आठ लाख चौरासी हजार 27,104,000.00

क्रमिक योग: 470,884,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

पत्र संख्या - 5/P-CS-81/2023/29(6)B

दिनांक - 27-Nov-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74695	SBJMED001 RAMDEO PASWAN C.S.CUM.C.M.O.SBG 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	17,532,000.00 रुपये एक करोड पचहत्तर लाख बत्तीस हजार
20	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74697	SKLMED112 SARJU PRASAD SINGH C.S-CUM-C.M.O.SERA KELLA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	22,970,000.00 रुपये दो करोड उन्तीस लाख सत्तर हजार
21	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74698	SDGFMW020 SUNDAR MOHAN SAMAD CIVIL SURGEON, SIMDEGA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	10,148,000.00 रुपये एक करोड एक लाख अड़तालीस हजार

योग: रुपये बावन करोड पंद्रह लाख चौतीस हजार — 50,650,000.00

क्रमिक योग: 521,534,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

49.37.26.52

Run Date: 27/11/2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74699	SGHMED033 SUSHANTO KUMAR MAJHEE C.S.CUM C.M.O. SINGH.WEST.CBSA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	21,917,000.00 रुपये दो करोड उन्नीस लाख सत्रह हजार
23	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74701	JSRMED031 DR. SAHIR PALL C.S.CUM CMO.EASTSINGHBHUM JSR 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	86,620,000.00 रुपये आठ करोड छाछठ लाख बीस हजार
24	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NA Centeral Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74702	DMKMED079 DR. KAMLESHWAR PRASAD C.S. CUM C.M.O.DUMKA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	16,636,000.00 रुपये एक करोड छाछठ लाख छत्तीस हजार

योग: रुपये चौसठ करोड सड़सठ लाख सात हजार 125,173,000.00

क्रमिक योग: 646,707,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20C2210011108901O679	Total
					सहायता अनुदान सामान्य ;गैर. वेतनद्ध	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bokaro	BKRMED001	Dr. Abhoy Bhusan Prasad	Civil.Surgon, Bokaro	₹6,87,10,000.00 (74676)	₹6,87,10,000.00
2	Chatra	CTRMED013	Jagdish Prasad	Cs Cum Cmo Chatra	₹68,28,000.00 (74677)	₹68,28,000.00
3	Deoghar	DGRMEDD52	Dr Jugal Kishore Choudhary	Civil Surgeon Cum Cmo Deoghar	₹2,24,08,000.00 (74678)	₹2,24,08,000.00
4	Dhanbad	DHNMED072	Dr. Alok Bishwakarma	C.S. Cum C.M.O.Dhanbad	₹9,20,50,000.00 (74679)	₹9,20,50,000.00
5	Garhwa	GRHMED001	Dr. John Fitzgerald Kennedy	C.S.Cum C.M.O.Garhwa	₹1,34,22,000.00 (74680)	₹1,34,22,000.00
6	Giridih	GRDMED003	Shaikh Mohammad Zafarullah	C.S. Cum C.M.O. Giridih	₹1,87,50,000.00 (74681)	₹1,87,50,000.00
7	Godda	GDDMED010	Subhash Chandra Sharma	Civil Surgeon Godda	₹1,24,98,000.00 (74683)	₹1,24,98,000.00
8	Hazaribagh	HZBMED069	Ashok Kumar	C S -Cum-Cmo Hzb	₹2,38,66,000.00 (74684)	₹2,38,66,000.00
9	Ramgarh	RGHMED025	Dr Mahalaxmi Prasad	Civil Surgeon Cum Cmo Ramgarh	₹2,96,54,000.00 (74685)	₹2,96,54,000.00
10	Koderma	KDMMEDA09	Anil Kumar	C.S Koderma	₹1,45,38,000.00 (74686)	₹1,45,38,000.00
11	Palamu	PLMMED002	Anil Kumar Sriwastwa	C.S.Palamau	₹2,26,44,000.00 (74687)	₹2,26,44,000.00
12	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹8,75,54,000.00 (74688)	₹8,75,54,000.00
13	Jamtara	JMTMED058	Anand Mohan Soren	C.S.Cum C.M.O.Jamtara.	₹1,02,00,000.00 (74689)	₹1,02,00,000.00
14	Khunti	KHNMEDL05	Nageshwar Majhi	Civil Surgeon Cum Cmo,Khunti	₹70,44,000.00 (74690)	₹70,44,000.00
15	Gumla	GMLMED010	Dr. Shambhu Nath Choudhary	C.S.Cum.C.M.O. Gumla	₹1,36,14,000.00 (74691)	₹1,36,14,000.00
16	Latehar	LTRMED047	Raj Mohan Khalkho	C.S, Cum, C.M.O. Latehar	₹69,38,000.00 (74692)	₹69,38,000.00
17	Lohardaga	LDGMED008	Raju Kachhap	C.S.Cum C.M.O. Lohardaga	₹70,74,000.00 (74693)	₹70,74,000.00
18	Pakur	PKRMED009	Surendra Kumar Mishra	Cs-Cum-Cmo Pakur	₹1,30,92,000.00 (74694)	₹1,30,92,000.00
19	Sahebganj	SBJMED001	Ramdeo Paswan	C.S.Cum.C.M.O.Sbg	₹1,75,32,000.00 (74695)	₹1,75,32,000.00
20	Saraikela	SKLMED112	Sarju Prasad Singh	C.S-Cum-C.M.O.Seraikella	₹2,29,70,000.00 (74697)	₹2,29,70,000.00
21	Simdega	SDGFMW020	Sundar Mohan Samad	Civil Surgeon, Simdega	₹1,01,48,000.00 (74698)	₹1,01,48,000.00
22	Singhbhum West	SGHMED033	Sushanto Kumar Majhee	C.S.Cum C.M.O. Singh.West.Cbsa	₹2,19,17,000.00 (74699)	₹2,19,17,000.00
23	Jamshedpur	JSRMED031	Dr. Sahir Pall	C.S.Cum Cmo.Eastsinghbhum Jsr	₹8,66,20,000.00 (74701)	₹8,66,20,000.00
24	Dumka	DMKMED079	Dr. Kamleshwar Prasad	C.S. Cum C.M.O.Dumka	₹1,66,36,000.00 (74702)	₹1,66,36,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹64,67,07,000.00 (चौसठ करोड सड़सठ लाख सात हजार **) रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY